भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 977522

क्रेता

विक्रेता

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 21 माह 06 वर्ष 2013 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात परिषद कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसके पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिती है और सम्मिलित है।

क्रमशः 2 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 977523

(2)

एक पक्ष और मैसर्स जी०बी० व्हूलवेल प्राइवेट लि० द्वारा श्री हिमान्शु शुक्ला पुत्र स्व०श्री महेशदत्त शुक्ला निवासी C-1865 एच०आई०जी०राजाजीपुरम,लखनऊ जिसके

क्रमश: 3 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 977524

(3)

एतदपश्चात पंजीकृत इच्छुक क्रेता कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस मे

जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक क्रेता, उसके

क्रमशः 4 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 977525

उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि चूंकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और

क्रमशः 5 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 977526

(5)

उसके शहर/नगर लखनऊ तहसील लखनऊ जिला लखनऊ में वृन्दावन योजना संख्या–2 भाग–1 नामक मुहल्ले के सेक्टर 2B में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या–4A/GH-02 का क्रय है और चूंकि उक्त परिषद ने रू० 3,79,69,712.00 (रू० तीन करोड़ उनन्यासी लाख उनहत्तर हजार सात सौ बारह मात्र) जिसका आधा रू० 1,89,84,856.00 (रू० एक करोड़ नवासी लाख चौरासी हजार आठ सौ छप्पन मात्र) होता

क्रमशः 6 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 977527

(6)

इि. के प्रतिफल स्वरूप उक्त सम्पत्ति (संख्या--4A/GH-02) को जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची "क" मे उल्लिखित है। (जिसे एतद्पश्चात

क्रमशः 7 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 977528

उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित

क्रमशः 8 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 977529

निबंधन और शर्तों के अधीन क्रय करने के लिए सहमत है। अतएव अब रू० 3,79,69,712.00 (रू० तीन करोड़ उनन्यासी लाख उनहत्तर हजार सात सौ बारह मात्र) की धनराशि के प्रतिफलस्वरूप और सभी सम्बद्ध पक्षों के लिए इसमें एतद् द्वारा

क्रमशः 9 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 977530

वृन्दावन योजना लखनऊ में स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति और संरचना (सम्पत्ति सं० 4A/GH-02) जिसे नीचे दी गई अनुसूची में और अधिक पूर्णरूप से वर्णित किया गया है,

क्रमशः 10 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 977531

फलस्वरूप क्रेता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन सर्वदा पूर्ण करने के लिए विक्रय और अन्तरित करती है—

क्रमशः 11 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 977532

(1) परिषद की उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण मे जिसके लिए परिषद का

क्रमशः 12 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 977533

(12)

गठन किया गया था, एतद् द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।

क्रमशः 13 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 977534

2) एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।

क्रमशः 14 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 977535

(14)

(3) उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक क्रेता को प्रदत्त किया जा चुका है।

क्रमशः 15 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 977536

(4) इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने

क्रमशः 16 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 977537

जैसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।

क्रमशः 17 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 977538

(5) यदि इच्छुक क्रेता एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग

क्रमशः 18 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 977539

से किसी पूर्ववर्ती भार परस्तात किन्ही दावों या मांगों कारण या उक्त परिसर के त्रुटियुक्त

क्रमश: 19 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 977540

(19)

तक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद इच्छुक क्रेता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि,क्षति और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।

क्रमशः 20 पर

क्रेता   विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 977541

(6) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे उक्त परिषद

क्रमशः 21 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 977542

(21)

द्वारा यथा प्रस्तावित भूखण्डों और मकानों के इच्छुक क्रेताओं को पंजीकरण की योजना से

क्रमश 22 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हज़ार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 977543

संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन जमा किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन

क्रमश 23 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 977544

किए जा सकेंगे जो समय–समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किए जा रहे है –

क्रमशः 24 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 977545

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक क्रेता को इसकी वर्तमान दशा मे किया गया है और

क्रमशः 25 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 977546

उपरोक्त क्रेता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।

क्रमश: 26 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 15000 पन्द्रह हजार रुपये

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

357365

(छ) इच्छुक क्रेता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल ग्रुप हाउसिंग प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

क्रमशः 27 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 418104

उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने पूरी इस बात की स्पष्ट और पूरी जानकारी के साथ कर लिया है कि इच्छुक क्रेता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी

क्रमशः 28 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 418106

30 [illegible]

कृषि परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किसी करारो के आनुषंगिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा और यह कि उपरोक्त क्रेता उक्त परिषद की कालोनी में स्थायी

क्रमश: 29 पर

क्रेता विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 418105

जैसे सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार

क्रमशः 30 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 418648

30 MAY 2013

होगा और इच्छुक क्रेता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति (संख्या – 4A/GH-02) पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को 21% (इक्कीस

क्रमशः 31 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 372718

प्रतिशत) की दर से ब्याज सहित फलीभूत क्रेता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

क्रमशः 32 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 418647

RY. LKO

30 MAY

(8) पंजीकृत इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति का उपयोग आवासीय प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य

क्रमशः 33 प

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 349036

प्रयोजन के लिये नहीं करेगा। और वह विक्रय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद के सभी अनुदेशों की सर्वथा अनुपालन करेगा।

क्रेता

विक्रेता

क्रमशः 34 पर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 349037

(9) इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक क्रेता को आवंटित भूमि में स्थित पर उक्त सम्पत्ति

क्रमशः 35 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 749038

TRY LKO

30 MAY 2013

सैक्टर– 4A/GH-02 स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि या उसके बगल में स्थित भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक संक्रमित नहीं होगा या संक्रमित नहीं समझा जायेगा।

क्रेता

विक्रेता

क्रमशः 36 पर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 318516

(10) क्रेता ने विक्रेता के दिए गये निष्कर्ष और शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप

क्रमशः 37 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 318517

[illegible]

से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उनके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार संदेय विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तों के अधीन होंगे।

क्रेता विक्रेता

क्रमश: 38. पर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 318518

21 -- 2013

(38)

(11) ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों से सम्बन्धित सभी नियम व शर्तें जो समय-समय पर लागू हों, मान्य होगी।

क्रमशः 39 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 481322

2 0 JAN 2013

(39)

जिसके साक्ष्य में श्री बी०के०सिंह सहायक आबकारी आयुक्त ने परिषद के लिए और उसकी ओर से और मेसर्स जी०बी०न्यूलवेल प्रा० लि० द्वारा श्री हिमान्शु शुक्ला आज्ञप्ति

क्रमशः 40. पर

क्रेता विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 481323

(40)

4A/GH-04 ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के क्रेता ने स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और

क्रमशः 41 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 481324

30 अप्र 2008

सम्मति से किसी दबाव या प्रलोभन के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्द्वारा अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

क्रमशः 42. पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 318391

नोट:-(1) ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का कुल मूल्य रु० 3,79,69,712.00 एवं ब्याज/अतिरिक्त ब्याज रु० 2,33,31,594.00 कुल रु० 6,13,01,306.00 आवंटी द्वारा परिषद कोष में भुगतान किया गया है।

क्रमशः 43 पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 318392

नोट:-(2) अतः शासनादेश सं०वि०क०नि 5-462/114-2006-500(92)-2005 दि० 23.02.2006 के अन्तर्गत 7% की दर से स्टाम्प रू० 45,37,000.00 नियमानुसार अदा किया जा रहा है।

क्रमशः 44, पर

क्रेता

विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 318393

नोट:–(3) उप निबन्धक(ग्राम) लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 01.09.2007 को बही सं० 1 जिल्द सं० 8553 पृष्ठ सं० 219 से 246 पर क्रमांक 7948 पर रजिस्टर्ड किराया किस्त क्रय अनुबन्ध में प्रयुक्त स्टाम्प रू० 37,97,000.00 समायोजन उपरान्त शेष रू० 7,40,000.00 के स्टाम्प पेपर पर विक्रय विलेख निष्पादित किया जा रहा है।

क्रमशः 45. पर

क्रेता

विक्रेता

1767

5/6/13

विक्रय पत्र

64,811,923.00 /	64,812,000.00	10,000.00	40	10,040.00	2,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री मै. जी0 बी0 ब्लूवर्ल्ड प्रा0 लि0 द्वारा हिमांशु शुक्ला

पुत्र श्री स्व0 महेश दत्त शुक्ला

व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थायी बी- 1865 एल0 आई0 जी0 राजाजीपुरम लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 1/7/2013 समय 12.47PM

बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वी. के. सिंह

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

1/7/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन श्री उ0 प्र0 आ0 वि0 प0 द्वारा वी0 के0 सिंह स0 आ0 ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

क्रेता

श्री मै. जी0 बी0 ब्लूवर्ल्ड प्रा0 लि0 द्वारा हिमांशु शुक्ला

पुत्र श्री स्व0 महेश दत्त शुक्ला

पेशा व्यापार

निवासी बी- 1865 एल0 आई0 जी0 राजाजीपुरम लखनऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय

पुत्र श्री एस0 आर0 पाण्डेय

पेशा व्यापार

निवासी 130/27/2 कैसरबाग लखनऊ

व श्री सुभाष चन्द्र ... स0 आ0 वि0 प0

पुत्र श्री

पेशा नौकरी

निवासी

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वी. के. सिंह

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

1/7/2013

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 349147

TRY. LKO
30 MAY 2013

(45)

वृन्दावन योजना संख्या–4A लखनऊ में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 4A/GH-02, का कुल क्षेत्रफल 5269.18 वर्ग मीटर है। एवं 1000 X 13000.00 + 25% = रू० 3250.00 कुल रू० 16,250.00 X 1000 = रू० 1,62,50,000.00 एवं भूखण्ड का क्षेत्रफल 4269.18 वर्ग मीटर द्वारा निर्धारित सर्किल दर रू० 13000.00 -30% + 25% कुल रू० 11,375.00 प्रति वर्ग मीटर द्वारा निर्धारित भूमि दर रू० 4,85,61,923.00 + 1,62,50,000.00 = रू० 6,48,11,923.00 जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित रू० 6,48,11,923.00 है। जिसपर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से स्टाम्प रू० 37,97,000.00 पर किफ्त किरायेदारी अनुबन्ध निष्पादित किया जा चुका है। समायोजन उपरान्त रू० 7,40,000.00 के स्टाम्प पेपर पर विक्रय विलेख निष्पादित किया जा रहा है।

क्रमशः 46: प

क्रेता विक्रेता

3822

[illegible] ....

[illegible] करने की तिथि 6/6/13

[illegible] .... जी. डी. बिल्डवेल प्रा० लि०

[illegible] पूरा पता ....

द्वारा ....

[illegible] ....

[illegible] रिज़वी

[illegible] नम्बर-8

[illegible] की अवधि [illegible]-3-201[illegible]

[illegible]

विक्रेता

Registration No.: 12250 Year : 2,013 Book No. : 1

0101 उ0 प्र0 आ0 वि0 प0 द्वारा वी0 के0 सिंह रा0 अ0

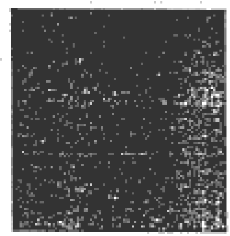

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 349146

(48)

अनुसूची 'क'

विक्रय की गई सम्पत्ति की अनुसूची

सम्पत्तिसं० श्रेणी 4A/GH-02 ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड — क्षेत्रफल 5269.18 वर्ग मीटर

सीमाएं उत्तर–	भूखण्ड संख्या 2B/GH-03	उत्तर–	[illegible]
दक्षिण–	भूखण्ड संख्या 2B/GH-01	दक्षिण–	[illegible] मीटर
पूर्व–	इंदिरानगर [illegible] / कैलाश कालोनी	पूर्व–	85.40 मीटर
पश्चिम–	24.00 मीटर चौड़ी सड़क	पश्चिम–	65.48 मीटर

1–साक्षी 1–हस्ताक्षर [signature]
2–नाम
3–पता

2–साक्षी 1–हस्ताक्षर [signature]
2–नाम
3–पता

विक्रेता के लिए [illegible] ओर से

[signature]

सहायक आवास आयुक्त

(कृते आवास आयुक्त)

विक्रेता

1–साक्षी 1–हस्ताक्षर [signature]
2–नाम चन्द्र प्रकाश मिश्रा
3–पता 246/47 [illegible] [illegible] लखनऊ

क्रेता के लिए और उनकी ओर से

2–साक्षी 1–हस्ताक्षर [signature]
2–नाम Vimal Kumar Shukla
3–पता B-102 Kailash-Puri Alambagh LKO

1–हस्ताक्षर क्रेता [signature]
2–नाम मैसर्स जी०डी०[illegible] प्राइवेट लि०
द्वारा श्री हिमांशु शुक्ला
3–पता म०नं० सी 1605, राजाजीपुरम लखनऊ

3822
स्टाम्प विक्रय करने की तिथि........ 6/4/13
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....
[illegible] .... जी. वी. बिल्डवेल प्रा. लि.
द्वारा........
स्टाम्प विक्रेता ....

बी० पी० शंकर रिज़वी
लाइसेंस नम्बर-8
लाइसेंस की अवधि 31-3-2016
कलेक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ

क्रेता

Registration No. : 12250 Year : 2,013 Book No. : 1

0201 मे, जी0 वी0 ब्युल्डवेल प्रा0 लि0 द्वारा हिमांशु शुक्ला
स्व0 महेश दत्त शुक्ला
नी- 1865 एच0 आई0 जी0 राजाजीपुरम लखनऊ
व्यापार